संख्या /2025/XII(1)/E-75486

प्रेषक,

श्याम सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक सितम्बर, 2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 2584/रा0नि0आ0–ले0/4280/ 2025 एवं 2585/रा0नि0आ0–ले0/4280/ 2025 दिनांक 01.09.2025 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–329896, दिनांक 12 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से अनुदान संख्या–05 लेखाशीर्षक–2015–00–109–02–00 एवं 2015–00–109–03–00 के अंतर्गत संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 में उल्लिखित मानक मदों में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 124015000/–(बारह करोड़ चालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत एवं अनुमोदित मदों पर ही आवंटित सीमा तक किया जाय। स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(ii) उक्त आवंटित धनराशि के व्यय हेतु वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–287566, दिनांक 31 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस संबध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–05, के अन्तर्गत संलग्न आवंटन आई0डी0 में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by Shyam Singh
Date: 25-09-2025 11:21:22
(**श्याम सिंह**)
अपर सचिव।

संख्या– (1)/ E-75486/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–4/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SHIVENDRA NARAYAN SINGH
Date: 30-09-2025 12:23:30

(शिवेन्द्र नारायण सिंह)
उप सचिव